न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 83/2017 निर्णय दिनांक :– 12-7-18

उनवान

1. सीताराम पुत्र जगन्नाथ जाति बागडा ब्राहमण निवासी ज्यानकीबल्लभपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

........प्रार्थी

बनाम

1. विजयनारायण पुत्र मूलचन्द जाति बागडा ब्राहमण निवासी ज्यानकीबल्लभपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0

..अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा</u>

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश किया

प्रार्थी ने एक दावा आज मजबूत आधघारो पर मान्य न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है जिसमें प्राथी को सफलता की पूरी पूरी आशा है। प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों का कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खाता संख्या 26 के खसरा नम्बर 146 रकबा 0.59 है0 खसरा नम्बर 147/524 रकबा 0.02 है0 , खसरा नम्बर 152 रकबा 0.13 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर वाके ग्राम ज्यानकीबल्लभपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

पटवार हल्का काठावाला तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसको प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई अपनी आराजी भूमि पर प्रारंभ से काबिज काश्त करते आ रहे है तथा अपनी उपज का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी की आराजी के लगवा ही मिन अप्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी खाता नम्बर 47 के खसरा नम्बर 161, रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.02 है0 कूल किता 02 कुल रकबा 0.04 है तथा खसरा नम्बर 158 रकबा 0.02 है0 गै. मु. रास्ता है। जिसकी खातेदारी शिक्षा विभाग के नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त गै. मु. रास्ते के लगवा अंप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा नम्बर 161, 162 जो राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. बाडां दर्ज है तथा खसरा नम्बर 158 की भूमि है वो प्रार्थी के पूर्वजों द्वारा शिक्षा विभाग को दान की गई तब से उक्त खसरा नम्बर आम रास्ते के रुप में आने जाने के काम में आ रहा है तथा वर्तमान में भी प्रार्थी व समस्त ग्रामवासी उक्त गै. मु. रास्ते को ही आवागमन के रुप में उपयोग में लेते चले आ रहे। प्रार्थी उक्त वादग्रस्त गै. मु. रास्ते पर गत दिनांक 07/06/2019 को अप्रार्थीगण मय दीगर को लेकर मौके पर आये और जबरन गै. मु. रास्ते पर नींवे खोदकर निर्माण कार्य करने पर उतारु हो गया तथा जबरन सीमेन्ट, बजरी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

रोडी, पत्थर इत्यादि निर्माण सामग्री डालने की कोशिश करने लग गये प्रार्थी ने मना किया तो नहीं माने तथा जाते जाते ऐलानियां धमकियां देकर चले गये। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस बखुबी साबित है। सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है. अगर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी को गम्भीर क्षति होगी जिसकी पूर्ती सम्भव नही हो अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थगण को ता फैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी खाता संख्या 47 के खसरा नम्बर 161 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.02 है0 कुल किता 02 कूल रकबा 0.04 है0 तथा खसरा नम्बर 158 रकबा 0. 02 है0 वाके ग्राम ज्यानकीबल्लभपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 गै. मु. रास्ता में नींवे नही खोदे आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे, न ही कच्चा पक्का निर्माण करे ना ही ऐसा स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे ना ही जबरन कब्जा करे, न खेती में बाधा कारित करे न तो ऐसा स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी तो अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार पेश किया कि :–

प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी द्वारा सफलता की आशा कयास मात्र है। प्रार्थना पत्र का पैरा नंबर 02 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है बाकी यह कहना गलते है कि उक्त संपत्ति विवादग्रस्त है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 03 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 04 में वर्णित तथ्य अप्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 161, 162 मिन अप्रार्थी के होना स्वीकार है तथा खसरा नंबर 158 गैर मु. रास्ता होना भी स्वीकार है तथा प्रार्थी का यह कहना गलत है कि खसरा नंबर 158 की भूमि प्रार्थी के पूर्वजों ने शिक्षा विभाग को दान की हो तथा खसरा नंबर 158 की भूमि गैर मु. रास्ता शिक्षा विभाग के नाम होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 05 में वर्णित तथ्य बेबुनियाद, काल्पनिक होने से अस्वीकार है वास्तविक तथ्य सामग्री अप्रार्थी ने खसरा नंबर 161, 162 जो उसकी स्वंय व खातेदारी है उसमें डलवाये है तथा प्रार्थी के विरोध करने पर बिल्कुल सीमाज्ञान करवा कर अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:35:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

आराजी पर निर्माण सामग्री डलवायी है। प्रार्थी मुकदमें बाज है तथा अप्रार्थी वृद्ध नागरिक है जिसे हैरान व परेशान करने की गरज से मिथ्या आधारों पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका अप्रार्थी की आराजी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 06 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है उक्त प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थी को स्वंय की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या आधारों पर पेश किया गया है।

अतिरिक्त कथन

यह कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी को लाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि व्यादेश का दावा सिर्फ और सिर्फ एक खातेदार ही ला सकता है तथा प्रार्थी को वाद लाने का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है जिसको अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। जवाब अप्रार्थी सं. 01 की ओर जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे जो न्याय हित में न्यायोचित है।

जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों की वाके ग्राम ज्यानकीवल्लभपुरा में कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर अपनी आराजी भूमि पर प्रारंभ से ही काबिज काश्त करते आ रहे है खसरा नम्बर 161/002, 162/002 किता 2रकबा 0.04 है0 व खसरा नम्बर 158 रकबा 0.02 है0 में गै0 मु0 रास्ता दर्ज है उक्त गै0मु0 रास्ते के लगवा अप्रार्थी संख्या 1 में खसरा नम्बर 161, 162 जो राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 बाडा दर्ज है खसरा नम्बर 158 की जो भूमि है जो प्रार्थी के पूर्वजों द्वारा शिक्षा विभाग को दान की गयी थी तबसे उक्त खसरा नम्बर आम रास्ते के रूप में आने–जाने के काम आ रहा है, अप्रार्थीगण जबरन गै0मु0 रास्ते पर नींव खोदकर निर्माण कार्य करने पर उतारू हो गया, मना किया तो धमकी [illegible] सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में अगर अप्र[illegible] को पाबंद नही किया गया तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

प्रार्थी को गम्भीर क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

जवाब बहस में अप्रार्थी वकील ने प्रार्थी वकील की बहस का खंडन करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 161, 162 भूमि है व खसरा नम्बर 158 गे0 मु0 रास्ता है, जो प्रार्थी के पूर्वजो की नही होकर गे0मु0 रास्ता शिक्षा विभाग के नाम दर्ज है। निर्माण सामग्री अप्रार्थी के खसरा नम्बर 161, 162 जो स्वयं की खातेदारी है उसमें डलवाये है। प्रार्थी के विरोध करने पर सीमाज्ञान करवाकर अपनी आराजी निर्माण सामग्री डलवायी है। प्रार्थी मुकदमे बाज है तथा अप्रार्थी बुर्जग है जिसे नाजायज परेशान करता है। प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उससे उसका कोई संबंध नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी की स्वयं की भूमि का उपयोग व उपभोग से वंचित करने के लिये पेश किया है। दावा सिर्फ खातेदार ही ला सकता है सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में भली भांति सबित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पक्षकारान वकील की बहस पर गौर किया व प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:35:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 161, 162 में ही निर्माण कार्य करवा रहा है जिसका प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर पूर्व में 19.07.2007 को सीमाज्ञान कार्य करवाया गया। प्रधानाचार्य रा0मा0वि0 ज्यानकी बल्लभपुरा द्वारा भी सीमाज्ञान करवाया गया जब मौके पर मौजूद थे व ग्राम वासियों के समक्ष खसरा नम्बर 157 व 158 का सीमाज्ञान करवाया गया। मौके पर खसरा नम्बर 158 रकबा 0.02 हे0 में से गै0मु0 रास्ता है जो कि नक्शे के अनुसार चालू है, वर्तमान में विद्यालय भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही हो रहा, रिकार्ड के अनुसार मौके पर भूमि स्कूल के कब्जे में है व रास्ते के काम आ रही है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 158 पर किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य नही कर रहा है वह तो अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 160, 161 पर कर रहा है जिसको रोकने का प्रार्थी को कोई अधिकार नही हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को नाजायज परेशान करने की दृष्टि से पेश किया गया जिसका उसे कोई अधिकार नही है। प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार के विवेचन अनुसार अप्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:47 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
चाकसू, (जयपुर)

आदेश दिनांक 10.06.2019 का प्रभावहीन हो गया है। अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि होने के कारण किसी प्रकार का निर्माण कार्य करता है तो निर्माण करने से पूर्व तहसीलदार से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करे। पत्रावली बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी
चाँकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:47 IST
Reason: SelfAttested